न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–31 / 2021 (2021 / 60) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. केशर पत्नि उंकारलाल कुमावत निवासी खुटियांकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. मदन पिता नन्दादास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. किशन पिता नन्दादास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोपाल पिता नन्दादास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुरेश पिता नन्दादास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लक्ष्मण पिता नन्दादास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नंदराम पिता मांगुदास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रतनलाल पिता पन्नालाल कुमावत निवासी खुटियाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुवा पिता मांगु तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद – प्रार्थीया अधिवक्ता

दिनांक 23.09.2021

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम खुटियां खेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 783 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 789 रकबा 0.87 है0, आराजी संख्या 1097 / 777 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 30 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने दिनांक 10.11.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस [illegible] दिनांक 15.03.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को [illegible] जारी [illegible] नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 ल[illegible] अधिवक[illegible] उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 7 के अधिवक्ता उपस्थित [illegible] कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया जिससे जवाब बन्द कर [illegible]ामी कार्यवाही की ग[illegible] विपक्षी संख्या 8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:18 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 की ओर अपने जवाब मे अंकन किया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 789 पर कब्जा नही है तथा इस आराजी के चारो तरफ थोहरो की बाड़ लगी हुई है। आराजी संख्या 733, 1097/777 के पड़ौस अकिंत नही किये गये है। उक्त वर्णित आराजियात अलग अलग जगह पर स्थित है। प्रत्येक आराजी के पड़ौस भी अकिंत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया का अपना कब्जा आराजी संख्या 879 पर नही होने की वास्तविकता को छिपाने के लिये बिना सम्पूर्ण पड़ौस अकिंत कर प्रार्थना पत्र पेश किया जो चलने योग्य नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र में अकिंत आराजियात की प्रार्थीया खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। प्रतिवादी द्वारा जवाब में तथ्य अकिंत किये गये आराजी के चारो ओर थोहर की बाड़ कर रखी है पड़ोस अकिंत नही कर खातेदारो को पक्षकार संयाजित नही किया इन बातो से प्रतिवादी को क्या लेना देना है प्रतिवादी को क्या आपत्ति कोई विवरण नही दर्शाया गया है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खुटियां खेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 783 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 789 रकबा 0.87 है0, आराजी संख्या 1097/777 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 30 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-9-2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–31 / 2021 (2021 / 60) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. केशर पत्नि उंकारलाल कुमावत निवासी खुटियांकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. मदन पिता नन्दादास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. किशन पिता नन्दादास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोपाल पिता नन्दादास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुरेश पिता नन्दादास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लक्ष्मण पिता नन्दादास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नंदराम पिता मांगुदास बैरागी निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रतनलाल पिता पन्नालाल कुमावत निवासी खुटियाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुवा पिता मांगु तेली निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 14.09.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम खुटियां खेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 783 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 789 रकबा 0.87 है0, आराजी संख्या 1097 / 777 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 30 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / –रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / –रूपये सम्बधित भू– अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पाल... [illegible] ...प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 23.09.20[illegible] ...रे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:18 IST
Reason: SelfAttested

23/9/2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Kg, 111,128